

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 157 /2022 दिनांक : 19.10.2022

श्रीमती तोषिता मालानी (RJ0629), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक) को दिनांक 13.10.2022 से 19.10.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती मालानी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/09/2010/7041

दिनांक 19.10.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 11293 दिनांक 23.09.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती तोषिता मालानी (RJ0629), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।

सहायक रजिस्ट्रार